मध्यप्रदेश बिड़ी तथा सिगार कामगार (नियोजन शर्तें) नियम, 1968

(क्रं. 2153-2702 सोलह दि. 29 मार्च, 1968 - बिड़ी एण्ड सिगार वर्कर्स (कण्डिशन्स ऑफ एम्प्लायमेंट) एक्ट, 1966 (क्र. 32 सन् 1966) की धारा 45 द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित नियम बनाता है, जो उक्त एक्ट की धारा 44 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पूर्व में प्रकाशित किए जा चुके हैं।

अध्याय एक

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम - ये नियम **"मध्यप्रदेश बिड़ी तथा सिगार कामगार (नियोजन शर्तें) नियम 1968"** कहलायेंगे।

2. परिभाषाएँ - इन नियमों में, जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) **"अधिनियम"** से तात्पर्य बिड़ी तथा सिगार कामगार (नियोजन शर्तें) अधिनियम 1966 [बिड़ी एण्ड सिगार वर्कर्स (कण्डिशन ऑफ एम्प्लायमेंट) एक्ट, 1966] (क्रमांक 32 सन् 1966) से है;

(ख) **"प्ररुप"** से तात्पर्य इन नियमों से सलंग्न प्ररुप से है;

(ग) **"धारा"** से तात्पर्य अधिनियम की धारा से है।

अध्याय दो

औद्योगिक परिसरों के लिए अनुज्ञप्ति देना

3. लायसेन्स दिये जाने के लिये आवेदन-पत्र का प्ररुप तथा अनुज्ञप्ति शुल्क - (1) धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन औद्योगिक परिसर के रुप में किसी स्थान या परिसर का उपयोग करने या उसका उपयोग करने की अनुमति देने हेतु अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिये प्रत्येक आवेदन-पत्र प्ररुप एक में, दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज भेजी जायेगी, अर्थात् -

(एक) ऐसे स्थान या परिसरों का स्थल, निर्माण कार्य के लिये उपयोग में लाया जाने वाला उसके भीतर का क्षेत्रफल और ऐसे स्थान या परिसर के निकटवर्ती क्षेत्र, जिसमें निकटस्थ भवन, संरचना, सड़क, नालियाँ तथा इसी प्रकार की अन्य रचनायें शामिल हैं, तथा

(दो) निर्माण-कार्यो के लिये उपयोग में लाये जाने के लिये अभिप्रेत विभिन्न भवनों के मानचित्र, उंचाई तथा आवश्यक आड़ीकाट (क्रास सेक्शन) तथा उनमें या उनसे

संबंधित प्राकृतिक प्रकाश संबंधी विवरण, संवातन आग लग जाने के स्थिति में निकल भागने का मार्ग, उपयोग में लाये गये संयत्र या मशीनरी यदि कोई हो, की स्थिति तथा पार्श्व-मार्ग और मार्ग।

(तीन) कोषालय चालान जिसमें यह दर्शाया गया हो कि अनुज्ञप्ति के लिये नियम 8 में यथा उल्लेखित समुचित शुल्क का भुगतान कर दिया गया है।

(3) उपनियम (2) में उल्लेखित दस्तावेजों सहित आवेदन-पत्र की दो प्रतियाँ सक्षम प्राधिकारी को प्राप्ति स्वीकार के अधीन पंजीयन डाक द्वारा भेजी जायेगी या स्वयं जाकर दी जायेगी।

(4) अनुज्ञप्ति प्रदान करने के पहले, सक्षम प्राधिकारी, इस बात पर विचार करेगा कि क्या आवेदक ने आवेदन की तारीख से ठीक पहले बारह महीनों की अवधि के दौरान इस दृष्टि से किसी औद्योगिक परिसर का परिवर्तन करने का प्रस्ताव किया है अथवा उसने कोई औद्योगिक परिसर बन्द कर दिया है, जो श्रमिकों के हितों के प्रतिकूल हो।

4. नवीनीकरण के लिए आवेदन-पत्र - (1) धारा (4) के अधीन अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिये प्रत्येक आवेदन-पत्र प्ररुप एक में किया जायेगा। आवेदन-पत्र के साथ निम्न लिखित दस्तावेज भेजे जायेंगे, अर्थात् -

(क) नवीनीकरण के लिये अभिष्ठ अनुज्ञप्ति;

(ख) कोषागार का चालान, जिसमें यह दर्शाया गया हो कि नियम 8 में उल्लेखित अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए समुचित शुल्क का भुगतान कर दिया गया है।

(2) उपनियम (1) में उल्लेखित दस्तावेजों सहित आवेदन-पत्र सक्षम प्राधिकारी को प्राप्ति स्वीकार के अधीन पंजीयत डाक द्वारा भेजा जायेगा या उसे स्वयं जाकर दिया जायेगा।

(3) इस नियम के अधीन प्रस्तुत आवेदन-पत्र यथासंभव नियम (3) के उपनियम (4) के उपबन्ध लागू होंगे।

5. अनुज्ञप्ति का प्ररुप, निबन्धन तथा शर्तें - (1) धारा 4 के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति प्ररुप दो में होगा।

(2) धारा 4 के अधीन दिया गया या नवीनीकृत किया गया प्रत्येक अनुज्ञप्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा, अर्थात् -

(एक) निर्माण कार्य औद्योगिक परिसर के केवल उस भाग में किया जायेगा जिसका इस प्रयोजन के लिये अनुज्ञप्ति में उल्लेख किया गया हो;

(दो) औद्योगिक परिसर में नियोजित कर्मचारियों की अधिकतम संख्या किसी भी दिन अनुज्ञप्ति में उल्लेखित संख्या से अधिक नहीं होगी;

(तीन) परिसर में निर्माण कार्य करने में शक्ति चालित ऐसी किसी भी मशीनरी का उपयोग नहीं किया जाएगा, जिसका अनज्ञप्ति में उल्लेख न किया गया हो;

Scanned by CamScanner

(चार) सक्षम प्राधिकारी की लिखित पूर्व अनुमति के बिना, औद्योगिक परिसर का विस्तार नहीं किया जायेगा तथा ऐसी ही अनुमति के बिना ऐसे परिसर में स्थित किसी भी भवन में कोई संरचनात्मक परिवर्तन नहीं किया जायेगा;

(पांच) यह अनुज्ञप्ति हस्तांतरणीय नहीं होगा;

(छः) नियम 9 में यथा उपबंधित स्थिति को छोड़ यथास्थिति, अनुज्ञप्ति दिये जाने या उसके नवीनीकरण के लिये भुगतान की गई शुल्क वापस नहीं की जायेगी।

6. अनुज्ञप्तियों की दूसरी प्रति देना - (1) यदि धारा 4 के अधीन दिया गया अनुज्ञप्ति खो जाये, चोरी चला जाये, या नष्ट हो जाये तो अनुज्ञप्ति-धारी इसकी सूचना उस सक्षम प्राधिकारी को तत्काल देगा जिसके द्वारा यथास्थिति यह अनुज्ञप्ति दिया गया हो या अन्तिम बार नवीनीकृत किया गया हो, और वह अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति के लिए उस प्राधिकारी को आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर सकेगा।

(2) आवेदन पत्र के साथ ऐसा कोषागार चालान भेजा जायेगा, जिसमें यह दर्शाया गया हो कि अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति के लिये नियम 8 में यथा उल्लेखित शुल्क का भुगतान कर दिया गया है।

(3) आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकारी आवेदक को अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति पर लाल स्याही से "दूसरी प्रति" की समुचित मुहर लगाकर देगा।

7. धारा 5 के अधीन अपील - अधिनियम की धारा 5 के अधीन अपील -

(क) जिस आदेश के विरुद्ध अपील की जानी हो उसकी प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर लिखित रुप में की जायेगी;

(ख) उसके साथ उस आदेश की एक प्रति, जिसके विरुद्ध अपील की गई हो और ऐसा कोषागार चालान लगाया जायेगा, जिसमें यह दर्शाया गया हो कि अपील के संबंध में नियम 8 में यथा उल्लेखित समुचित शुल्क का भुगतान कर दिया गया है।

8. शुल्क - (1) धारा 4 के अधीन अनुज्ञप्ति देने या उसके नवीनीकरण के लिये भुगतान की जाने वाली शुल्क नीचे की सारिणी में दर्शाये अनुसार होगी -

सारणी

क्रं. (1)	ऐसे औद्योगिक परिसर की शुल्क जिनमें शक्ति चालित मशीनरी का उपयोग किया जाता हो	ऐसे औद्योगिक परिसर ही जिनमें शक्ति चालित मशीनरी का उपयोग नहीं किया जाता
		(2)
		क्रं.
यदि, उस वित्तीय वर्ष के दौरान जिसके लिए अनुज्ञप्ति अपेक्षित हो या नवीनीकरण किया		

गया हो किसी भी दिन नियोजन के लिये प्रस्तावित कर्मचारियों की संख्या -

(क) दस से अधिक न हो -	15	10
(ख) दस से अधिक किन्तु बीस से अधिक न हो-	30	20
(ग) बीस से अधिक किन्तु पचास से अधिक न हो-	75	50
(घ) पचास से अधिक किन्तु सौ से अधिक न हो-	150	100
(ङ) सौ से अधिक किन्तु दो सौ पचास से अधिक न हो-	300	250
(च) दो सौ पचास से अधिक हो-	550	500

(2) अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति के लिये भुगतान की जाने वाली शुल्क रुपये पांच होगी।

(3) धारा 5 के अधीन किसी अपील के संबंध में भुगतान की जाने वाली शुल्क -

(क) किसी भी ऐसे स्थान या परिसर के संबंध में, जिसमें नियोजन के लिए प्रस्तावित कर्मचारियों की अधिकतम संख्या सौ से अधिक हो, अनुज्ञप्ति देने या उसका नवीनीकरण करने से इन्कार करने वाले आदेश के विरुद्ध अपील करने के मामले में, पन्द्रह रुपये, और

(ख) किसी अन्य मामले में दस रुपये होगी।

(4) इस नियम में उल्लेखित देय शुल्क का भुगतान निकटस्थ शासकीय कोषागार में, लेखा शीर्ष -

"0230 - Labour & Employment
101 - Receipt Realised under Labour Laws
Registration / Renewal Fees
under Beedi & Cigar Act."

9. शुल्क की वापसी - यदि सक्षम प्राधिकारी धारा 4 के अधीन कोई अनुज्ञप्ति देने या नवीनीकरण करने से इन्कार करे तो वह, उसके लिए भुगतान की गई शुल्क को वापस करने का आदेश देगा।

अध्याय तीन

स्वास्थ्य तथा कल्याण

10. स्वच्छता - (1) प्रत्येक औद्योगिक परिसर स्वच्छ और किसी, नाली, शौचालय या अन्य अप्रदुषण (न्युसेंस) से उत्पन्न होने वाली दुर्गन्ध से मुक्त रखा जायेगा और विशेष रुप से -

(क) कार्य - कक्षों के फर्शों से और मार्गों से तथा सीढ़ियों और मार्गों से कूड़ा-करकट

Scanned by CamScanner

प्रतिदिन झाड़ु लगा कर या किसी अन्य प्रभावी तरीके से हटाया जायेगा और उपर्युक्त रीति से ठिकाने लगाया जाएगा;

(ख) प्रत्येक कार्य-कक्ष का फर्श सप्ताह में कम से कम एक बार धोकर और जहाँ आवश्यक हो वहाँ रोगाणुनाशक औषधी का उपयोग कर या किसी अन्य प्रभावी रीति से स्वच्छ किया जायेगा;

(ग) सभी भीतरी दीवालें और पार्टिशन, कमरों की छतें, दीवारें, पार्श्व और सीढ़ियाँ -

(एक) यदि उन पर रंग-रोगन किया गया हो या वार्निश की गई हो या यदि उनकी सतह चिकनी और अभेद हो तो प्रति चौदह माह की अवधि में कम से कम एक बार पानी से धोकर और सुखाकर स्वच्छ की जावेगी;

(दो) यदि उन पर रंग-रोगन हो या वार्निश की गई हो तो प्रति पांच वर्षों की अवधि में कम से कम एक बार उन पर फिर से रंग-रोगन किया जायेगा या वार्निश की जायेगी;

(तीन) किसी भी अन्य मामले में प्रति बारह माह में कम से कम एक बार पुताई या रंगाई की जावेगी।

(2) नियोजक उन तारीखों का अभिलेख, जिन तारीखों को उपनियम (1) के अधीन यथास्थिति पुताई, रंगाई, वार्निश, रंग-रोगन या सफाई की गई हो, प्ररुप तीम में रखी गई पंजी में प्रविष्ठि करेगा।

11. संवातन - किसी औद्योगिक परिसर के प्रत्येक कार्य-कक्ष या बड़े कक्ष (हॉल) में लगातार ताजी हवा आने देने की दृष्टि से खिड़कियों और संवातन (झरोखों) के लिए अन्य मार्गों की व्यवस्था पर्याप्त संख्या में की जायेगी जिससे ऐसे कक्ष या बड़े कक्ष (हॉल) का वातावरण आरामदायक और धूल,धुएँ तथा अन्य अशुद्धताओं से मुक्त रखा जा सके।

12. शौचालय - (1) प्रत्येक औद्योगिक परिसर में, प्रति बीस पुरुष कर्मचारियों के लिये एक खुड्डी के हिसाब से शौचालयों की व्यवस्था की जायेगी;

परन्तु यदि ऐसे पुरुष कर्मचारियों की संख्या सौ से अधिक हो तो प्रथम सौ कर्मचारियों तक प्रति पच्चीस कर्मचारियों के लिए एक खुड्डी और इससे अधिक कर्मचारियों के लिए प्रति पचास कर्मचारियों के लिये एक खुड्डी की व्यवस्था करना पर्याप्त होगा;

स्पष्टीकरण - इस उप-नियम के उपबन्धों के अनुसार अपेक्षित खुड्डियों की गणना करते समय कर्मचारियों की किसी विषम संख्या, जो बीस, पच्चीस या पचास से कम हो, की गणना यथास्थिति, बीस, पच्चीस या पचास के रुप में की जायेगी।

(2) यदि किसी औद्योगिक परिसर में महिला कर्मचारी नियोजित हो तो उनके लिये उप-नियम

(1) में पुरुष कर्मचारियों के लिए निर्दिष्ट मान के अनुसार ही पृथक शौच स्थान की व्यवस्था की जायेगी।

(3) प्रत्येक शौचालय ढ़का हुआ होगा और शौचालय का प्रत्येक स्थान एक दुसरे से इस प्रकार अलग किया गया होगा कि एकांत बना रहे और प्रत्येक भाग (पार्टिशन) के लिये अलग-अलग दरवाजे और अलग-अलग सांकल की व्यवस्था होगी।

(4) यदि किसी औद्योगिक परिसर में पुरुष और महिला दोनों ही कर्मचारी नियोजित हों तो प्रत्येक शौचालय खंड के बाहर, ऐसी भाषा में जिसे अधिकांश कर्मचारी समझते हों, एक सूचना लगी होगी, जिसमें यथास्थिति, ''केवल पुरुषों के लिये'' या ''केवल महिलाओं के लिये'' लिखा हो और ऐसी सूचना के साथ यथास्थिति पुरुष या महिला का चित्र भी बना होगा।

13. मूत्रालय - (1) प्रत्येक औद्योगिक परिसर में (ऐसे औद्योगिक परिसर को छोड़कर जहाँ पचास व्यक्तियों से कम व्यक्ति नियोजित हो या जहाँ शौचालय जलवाह मलप्रणाली से संबंद्ध हो) मूत्रालय की व्यवस्था की जायेगी और ऐसा स्थान प्रति पचास कर्मचारियों के लिये कम से कम छः मीटर लम्बा होगा;

परन्तु यदि परिसर में नियोजित कर्मचारियों की संख्या पांच सौ से अधिक हो तो प्रथम पांच सौ कर्मचारियों तक प्रति पचास कर्मचारियों के लिए एक मूत्रालय और इससे अधिक कर्मचारियों के लिये प्रति सौ कर्मचारियों के लिये एक मूत्रालय की व्यवस्था करना पर्याप्त होगा।

स्पष्टीकरण - (1) इस नियम के अनुसार अपेक्षित मूत्रालय स्थानों की गणना करते समय कर्मचारियों की किसी विषम संख्या जो पचास से कम हो, की गणना यथास्थिति पचास या दो सौ के रुप में की जायेगी।

(2) यदि किसी औद्योगिक परिसर में महिला कर्मचारी नियोजित हो तो उनके लिए उपनियम (1) में पुरुष कर्मचारियों के लिये निर्दिष्ट मान के अनुसार ही पृथक मूत्रालय स्थानों की व्यवस्था की जावेगी।

14. जहाँ कहीं संभव हो शौचालय और मूत्रालय, मल प्रणाली से जोड़ दिये जायेंगे - जब किसी बस्ती विशेष में सुनिश्चित जलपूर्ति सहित भूमिगत मल प्रवाह की सामान्य व्यवस्था की गई हो या विद्यमान हो तो ऐसी बस्ती में स्थित औद्योगिक परिसर के समस्त शौचालय और मूत्रालय, मलगर्त (सेप्टिक टैंक) शौचालय को छोड़ उस स्थिति में जबकि औद्योगिक परिसर उस मल प्रणाली में 30.5 मीटर के भीतर स्थित हो, ऐसी मल प्रणाली से जोड़ दिये जायेंगे।

15. शौचालयों और मूत्रालयों की पुताई और रंगाई - (1) प्रत्येक शौचालय और मूत्रालय की दिवारों, छतों और पार्टिशनों की पुताई और रंगाई की जायेगी और ऐसा प्रति चार माह की अवधि में कम से कम एक बार किया जायेगा।

(2) उप-नियम (1) की कोई भी बात ऐसे शौचालयों या मूत्रालयों की दीवारों और छतों

Scanned by CamScanner

तथा पार्टिशनों या ऐसी दीवारों, छतों और पार्टिशनों के ऐसे भाग के संबंध में लागू नहीं होगी जहाँ चमकदार टाइल्स लगे हो या जो इस प्रकार निर्मित हो कि उनकी सतह चिकनी पालिस की हुई और अभेद्य हो, किन्तु ऐसी दीवारें, छतें, पार्टिशन या उनके भाग प्रति चार माह की अवधि में कम से कम एक बार उचित अपमार्जक और रोगाणुनाशक द्रव्य द्वारा धोये जायेगे।

(3) नियोजक ऐसी तारीखें जिनको यथास्थिति, उप-नियम (1) के अधीन पुताई या रंगाई की गई हो, या उप-नियम (2) के अधीन अपमार्जक या रोगाणुनाशक द्रव्य द्वारा धुलाई की गई हो, प्ररुप तीन में रखी गई पंजी में दर्ज करेगा।

16. नालियों का निर्माण तथा संधारण - औद्योगिक परिसर में धोबन या मैला पानी बहा ले जाने के लिये बनाई जाने वाली समस्त नालियाँ पक्की या अन्य प्रवेश्य सामाग्री द्वारा निर्मित की जायेगी और उन्हें नियमित रुप से धोकर साफ किया जायेगा तथा ऐसा गंदा पानी ऐसी नलियों की उचित जल निकास लाइनों से जोड़कर निकाल दिया जायेगा;

परन्तु जहाँ ऐसी जल निकास लाइन ना हो वहाँ इस गंदे पानी को अहानिकर बनाने के लिये निर्गन्ध करके बाद में उसे ठिकाने लगा दिया जायेगा।

17. शौचालयों में नल आदि - जहाँ नल द्वारा जलपूर्ति उपलब्ध हो, वहाँ औद्योगिक परिसर शौचालयों में या शौचालयों के निकट सुविधापूर्वक सुलभ पानी की टोटियों की पर्याप्त संख्या में व्यवस्था की जायेगी और जहाँ निरन्तर जलपूर्ति उपलब्ध न हो वहाँ धुलाई के प्रयोजनों के लिये ऐसे शौचालयों या शौचालयों के निकट वाली बालटी सहित हौद की व्यवस्था की जायेगी।

18. धुलाई सुविधायें - (1) प्रत्येक ऐसे औद्योगिक परिसर में जहाँ कर्मचारी तम्बाखू का समिश्रण करने या छानने या गरम भट्टियों में बिड़ीयाँ गरम करने का काम करते हों, कर्मचारियों के उपयोग के लिए धुलाई हेतु पर्याप्त और उचित सुविधाओं की जिसमें साबुन, नख-ब्रश और धुलाई के अन्य उपयुक्त साधन शामिल हैं, व्यवस्था की जायेगी और ऐसी सुविधायें सुविधा पूर्वक सुलभ होगी और स्वच्छ तथा व्यवास्थित रुप से उपलब्ध की जायेगी।

(2) यदि किसी औद्योगिक परिसर में महिला कर्मचारी नियोजित हो, तो ऐसी महिला कर्मचारियों के लिये धुलाई सुविधाओं की पृथक व्यवस्था उसी आधार पर जो पुरुष कर्मचारियों के संबंध में उपनियम (1) में उल्लेखित है, ऐसे स्थानों पर की जायेगी जो ऐसी रीति से घिरे हुए हों या आड़ में हों कि उनका भीतरी भाग किसी ऐसे स्थान से दिखाई न दे, जहाँ पुरुष कर्मचारी कार्य करते हों या जहाँ से पुरुष कर्मचारी गुजरते हों, और ऐसे प्रत्येक स्थान के प्रवेश द्वार पर ऐसी भाषा में, जिसे अधिकांश कर्मचारी समझते हों, एक सूचना लगी रहेगी, जिसमें बड़े-बड़े तथा स्पष्ट शब्दों में "केवल महिलाओं के लिये" लिखा होगा और ऐसी सूचना के साथ महिला का चित्र भी बना होगा।

(3) धुलाई सुविधाओं के प्रयोजन के लिये उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन जलपूर्ति इस प्रकार की जावेगी कि औद्योगिक परिसर में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिदिन कम से कम 27.3 लिटर जल प्राप्त हो ऐसा जल किसी स्वास्थ्यकर स्त्रोत से प्राप्त किया जायेगा;

परन्तु यदि किसी निरीक्षक का इस बात से समाधान हो जाय कि इस उपनियम के अधीन उल्लेखित मान के अनुसार जलपुर्ति उपलब्ध करना साध्य नहीं है, तो वह लिखित प्रमाण-पत्र द्वारा कम मात्रा में पूर्ति की अनमति दे सकेगा परन्तु यह मात्रा किसी भी स्थिति में प्रत्येक कर्मचारी के लिये 4.5 लिटर प्रतिदिन से कम नहीं होगी।

19. शिशु मंदिर - (1) नियोजक सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिये धारा 14 के अधीन शिशु मंदिर के रुप में उपयोग के लिये निर्मित किये जाने वाले या उपयोग किये जाने वाले कमरों के विस्तृत मानचित्र तीन प्रतियों में प्रस्तुत करेगा।

(2) शिशु मंदिर निम्नलिखित मानकों के अनुरुप होगा, अर्थात् -

(क) शिशु मंदिर इस प्रकार स्थित होगी कि जिन बच्चों को उसमें रखा जाये उनकी मातायें, वहाँ सुविधा पूर्वक आ जा सकें और वह जहाँ तक हो सके औद्योगिक परिसर के किसी भी ऐसे भाग के जहाँ से हानिकर धुआँ, धुल या दुर्गन्ध निकलती हो, बिल्कुल पास स्थित नहीं हो;

(ख) शिशु मन्दिर के रुप में उपयोग में लाया जाने वाला कमरों या कमरे मजबूत बनावट का होगा/होगे और उसकी/उनकी सभी दिवारें या छत/छतें तापरोधक सामाग्री की बनी होगी/होंगी और जंलरोधक होंगी/होगी;

(ग) शिशु मंदिर का फर्श और उसकी भीतरी दीवारें 1:2 मीटर की उंचाई तक इस प्रकार बनाई या तैयार की गई होगी कि उनकी सतह चिकनी और अभेद्ध हो;

(घ) शिशु मंदिर के रुप में उपयोग में लाये जाने वाले प्रत्येक कमरे की उंचाई फर्श के छत के सबसे निचले भाग तक 3:7 मीटर से कम नहीं होंगी और उसमें रखे जाने वाल प्रत्येक बच्चे के लिये फर्शी सेम 1.9 वर्ग मीटर से कम नही होगा;

(ङ) शिशु मंदिर के प्रत्येक भाग में शुद्ध हवा आ जा सके, इसके लिये संचालन की प्रभावी और उपयुक्त व्यवस्था की जावेगी;

(च) शिशु मंदिर में फर्नीचर और साज-सामान की व्यवस्था की जायेगी और उनमें विशेष रुप से निम्नलिखित वस्तुएँ उपलब्ध होगी -

(एक) दो वर्ष से अधिक आयु प्रत्येक बच्चे के लिये उपयुक्त बिस्तर;

(दो) दो वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बच्चे के लिये एक उपयुक्त खाट या पालना और आवश्यक बिस्तर,

(तीन) प्रत्येक माता के लिये जब वह अपने बच्चे को दूध पिला रही हो या उसकी देखभाल कर रही हो, एक कुर्सी या बैठने की अन्य वस्तु; और

Scanned by CamScanner

(चार) बड़े बच्चों के लिये पर्याप्त संख्या में उपयुक्त खिलौने।

(3) शिशु मंदिर में या उसके समीप बच्चों को नहलाने और उनके कपड़े धोनें एक स्नान कक्ष होगा तथा ऐसा कक्ष निम्नलिखित मानकों के अनुरुप होगा, अर्थात् -

(क) कक्ष का फर्श और 0.9 से.मी. की उंचाई तक की उसकी भीतरी दीवारें इस प्रकार बनाई या तैयार की जायेगी कि उसकी सतह चिकनी और अभेद्य हो;

(ख) कक्ष समुचित ढ़ंग से बनाया गया और हवादार होगा और उसके फर्श के जल निकाय की व्यवस्था अच्छी होगी तथा उसे स्वच्छ और साफ-सुथरी हालत में रखा जायेगा;

(ग) नहाने धोने के लिये पानी की पूर्ति किसी स्वास्थ प्रद स्त्रोत से और यदि व्यवहार्य हो तो नलों के जरिये होगी;

(घ) प्रत्येक शिशु के लिये प्रतिदिन कम से कम 22.7 लिटर पानी उपलब्ध किया जायेगा;

(ङ) प्रत्येक शिशु के उपयोग के लिये स्वच्छ कपड़े, साबुन और साफ तौलिये की पर्याप्त पूर्ति होगी;

(च) स्नान कक्ष से एक सेप्टिक टाइप शौचालय संलग्न होगा, जिसका उपयोग एक मात्र शिशु मंदिर के बच्चों द्वारा किया जायेगा और उसे स्वच्छ और स्वास्थयप्रद हालत में रखा जायेगा।

(4) नियोजक को प्रत्येक शिशु के लिये प्रत्येक ऐसे दिन के लिये, जिस दिन उसे शिशु मंदिर में रखा जाए, आधा लिटर शुद्ध दूध की व्यवस्था करनी पड़ेगी तथा ऐसे बच्चों की माताओं को उसके दैनिक कार्य के दौरान शिशु को दूध पिलाने के लिये पर्याप्त मध्यावकाश दिया जायेगा जो पन्द्रह मिनट से कम का नहीं होगा।

(5) नियोजक, शिशु मंदिर के ऐसे बच्चों के लिये जिनकी आयु दो वर्ष से अधिक हो और जो शिशु मंदिर में रखे जाये उपनियम (4) के उपबन्धों के अनुसार दूध की व्यवस्था करने के अतिरिक्त स्वास्थ्यप्रद स्वल्पाहार की पर्याप्त व्यवस्था करेगा।

(6) नियोजक शिशु मंदिर में रखे जाने वाले बच्चों की देखभाल के लिये बच्चों और शिशुओं के देखभाल के कार्य में प्रशिक्षित एक महिला तथा पर्याप्त संख्या में आयाओं की नियुक्ति करेगा तथा इस प्रयोजन के लिये उपयुक्त साज-सामान और सुविधायें भी प्रदान करेगा।

स्पष्टीकरण - शिशु मंदिर में नियुक्ति की जाने वाली आयाओं की संख्या की गणना प्रति तीस बच्चों के लिये एक आया के हिसाब से की जावेगी।

(7) नियोजक, शिशुमंदिर में नियुक्त कर्मचारियों के लिये, शिशु मंदिर में कार्य करते समय उपयोग में जाने हेतु स्वच्छ कपड़ों की व्यवस्था करेगा।

स्पष्टीकरण - इस नियम में "शिशु" से तात्पर्य किसी महिला कर्मचारी के छः वर्ष से कम आयु के बच्चे से है।

20. प्रथमोपचार - (1) प्रत्येक औद्योगिक परिसर में, उपनियम (2) में उल्लेखित साज-सामान सहित प्रथमोपचार पेटियाँ या अलमारियों की व्यवस्था की जायेगी और वे इस प्रकार रखी जायेगी कि कार्य के घण्टों के दौरान हमेशा सरलतापूर्वक सुलभ हो सके तथा इस प्रकार व्यवस्था की गई और रखी गई पेटियों या आलमारियों की संख्या परिसर में किसी एक समय में नियुक्त साधारणतः एक सौ पचास व्यक्तियों के लिये एक से कम नहीं होनी चाहिये।

(2) प्रथमोपचार पेटियों या आलमारियों पर सफेद पृष्टभूमि पर स्पष्ट रुप से लाल क्रास का चिन्ह बना होना चाहिये तथा उनमें निम्नलिखित सामाग्री रहनी चाहिये, अर्थात् -

(एक) छः छोटी विसंक्रमित पट्टियाँ (ड्रेसिंग);
(दो) मध्यम आकार की तीन विसंक्रमित पट्टियाँ (ड्रेसिंग);
(तीन) बड़े आकार की तीन विसंक्रमित पट्टियाँ (ड्रेसिंग);
(चार) जल जाने पर उपयोग में लाई जाने वाली बड़े आकार की तीन पट्टियाँ (ड्रेसिंग);
(पाँच) 2 प्रतिशत अल्कोहल के घोल युक्त आयोडीन की एक बोतल (एक औंस की);
(छः) सैल्वोलेटाइल की एक बोतल (1 औंस की) जिस पर उसकी खुराक और दिये जाने का तरीका लिखा हुआ लेबल लगा हो;
(सात) एक सर्प-दंश धुरिका;
(आठ) फोटोशियम परमैग्नेट के स्फटिक (क्रस्टल) की एक बोतल (एक औंस की)
(नौ) एक कैंची;
(दस) आँख की दवा;
(ग्यारह) चिपकाने वाला प्लास्टर;

(3) प्रत्येक प्रथमोपचार पेटी या आलमारी एक ऐसे व्यक्ति के प्रभार में रखी जायेगी जो प्रथमोपचार कार्य में प्रशिक्षण प्राप्त हो और वह औद्योगिक परिसर में कार्य के घन्टों के दौरान सदैव सुगमतापूर्वक सुलभ रहेगा।

21. स्वल्पाहार गृह (केन्टीन) - (1) ऐसे प्रत्येक औद्योगिक परिसर का, जहाँ साधारणतः कम से कम 250 कर्मचारी नियोजित हो, नियोजक औद्योगिक परिसर या उसके समीप एक स्वल्पाहार गृह की व्यवस्था करेगा।

(2) स्वल्पाहार गृह किसी शौचालय, मूत्रालय या कुड़े के किसी अन्य स्थान के 15.2 मीटर दूरी के भीतर स्थित नहीं होगा।

(3) स्वल्पाहार गृह के भवन में कम से कम एक भोजन कक्ष, रसोईघर, भण्डार घर, तथा बरबार(पेन्ट्री) के अतिरिक्त कर्मचारियों के हाथ मुंह धोने के लिये और बर्तन धोने के लिये पृथक स्थान होना चाहिये।

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

(4) भवन की न्युनतम उंचाई 3.7 मीटर से कम नहीं होना चाहिये तथा उसकी सभी दीवारें और छत उपयुक्त तापरोधक सामाग्री से निर्मित और जलरोधक(वाटरप्रुफ) होनी चाहिये। वह पर्याप्त रुप से हवादार होना चाहिये। उसके दरवाजों और खिड़कियों का निर्माण इस प्रकार किया जाना चाहिये कि मक्खियाँ प्रवेश न कर सके।

(5) स्वल्पाहार गृह में सभी ऐसे समय जब, उसमें कोई व्यक्ति आये रोशनी का पर्याप्त प्रबन्ध होना चाहिये।

(6) (क) प्रत्येक स्वल्पाहार गृह में -

(एक) कमरों की सभी दीवारों और सभी छतों पर तथा मार्गों और सीढ़ियों पर प्रतिवर्ष कम से कम एक बार पुताई या रंगाई की जानी चाहिये अथवा यथा स्थिति उस तारीख से, जिस तारीख को उन पर पिछली बार पुताई, रंगाई या रंग-रोगन दिया गया हो, तीन वर्ष के भीतर एक बार रंग-रोगन किया जाना चाहिये;

(दो) लकड़ी के सभी वस्तुओं पर उन पर पिछली बार वार्निश या रंग-रोगन किये जाने की तारीख से तीन वर्ष के भीतर, एक बार वार्निश या रंग-रोगन किया जाना चाहिये;

(तीन) भीतरी संरचना की लोहे या इस्पात की सभी वस्तुओं पर, उन पर पिछली बार वार्निश या रंग-रोगन किये जाने की तारीख से तीन वर्ष के भीतर एक बार वार्निश या रंग-रोगन किया जाना चाहिये;

(चार) नियोजक प्ररुप तीन में रखी गई पंजी में पुताई, रंगाई, वार्निश या रंग-रोगन किये जाने की तारीख दर्ज करेगा।

(7) स्वल्पाहार गृह का परिसर स्वच्छ और स्वास्थ्यप्रद हालत में रखा जायेगा। धोवन जल की निकासों के लिये उपयुक्त ढ़ंकी हुई नालियों की व्यवस्था की जायेगी तथा उसे इकट्ठा नहीं होने दिया जायेगा जिससे अप्रदूषण (न्यूसेन्स) हो, कूड़ा इकट्ठा करने और ठिकाने लगाने के लिये उपयुक्त प्रबन्ध किया जायेगा।

(8) (क) भोजन कक्ष में किसी एक समय कतिपय कर्मचारियों में से 30 प्रतिशत कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था होगी।

(ख) सर्विस काउन्टर तथा टेबिल-कुर्सियों को छोड़, किसी अन्य फर्नीचर से घिरे क्षेत्र के अतिरिक्त भोजन कक्ष का फर्श खण्ड (फ) में उल्लेखित किये गये अनुसार, प्रति व्यक्ति के लिये 0.93 वर्ग मीटर से कम नहीं होगा।

(ग) भोजन कक्ष तथा सर्विस काउन्टर के एक हिस्से को विभाजित (पार्टीशन) करके उसे मात्र केवल महिला कर्मचारियों के उपयोग के लिए उनकी संख्या के अनुपात में रक्षित रखा जायेगा। महिलाओं के लिये हांथमुँह धोने का स्थान पृथक होगा तथा वहाँ एकान्त के लिये पर्दा लगाया जायेगा।

(घ) खण्ड (क) में यथा उल्लेखित भोजन करने वाले व्यक्तियों की संख्यानुसार टेबल,कुर्सीयाँ या बेन्चे पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होगी।

(9) (क) स्वल्पाहार गृह को ठीक से चलाने के लिए पर्याप्त बर्तनों, चीनी मिट्टी के बर्तनों, छुरी-कांटो, फर्निचर तथा अन्य आवश्यक सामान की व्यवस्था की जायेगी। स्वल्पाहार गृह में कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिये उपयुक्त साफ कपड़ों की व्यवस्था भी की जायेगी, तथा रखी जायेगी।

(ख) फर्नीचर, बर्तनों और अन्य साज-समान को स्वच्छ और स्वास्थ्यप्रद हालत में रखा जायेगा। यदि सर्विस काउन्टर की व्यवस्था की गई हो तो उसका उपरी भाग चिकना तथा अभेद्य सामाग्री का होगा। बर्तनों और सामान की सफाई के लिये गरम पानी की पर्याप्त पूर्ति सहित पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था की जायेगी।

(ग) भोजन तथा खाद्य सामाग्री को मक्खियों से सुरक्षित आलमारियों में रखा जायेगा तथा उन्हें लकड़ी की करछुल या उपयुक्त धातु से बने चिमटों की सहायता से जो भी सुविधाजनक हो, रखना निकालना होगा। एक बार उपयोग में लाये गये बर्तन फिर से उपयोग में लाये जाने से पहले साफ कर लिये जायेंगे।

(10) स्वल्पाहार गृह में दिये जाने वाले खाद्य तथा पेय पदार्थ तथा अन्य वस्तुयें "लाभ हानि रहित" आधार पर बेची जायेगी।

अध्याय चार

कार्य के घन्टे, अवकाश, बर्खास्तगी आदि के मामले में अपील

22. सूचना तथा कार्यावधि पंजी - (1) प्रत्येक नियोजक अपने औद्योगिक परिसर में प्ररुप चार में एक सूचना लगायेगा जिसमें यथास्थिति कर्मचारियों या कर्मचारियों के प्रत्येक वर्ग के दैनिक कार्य के घन्टों, विश्राम की अन्तरावधियों तथा साप्ताहिक छुट्टियों का स्पष्ट उल्लेख होगा।

(2) प्रत्येक नियोजक प्रारुप पांच में अधिक समय सहित वे घन्टे जिनमें वस्तुतः काम किया जाता, दर्शाने वाली पंजी रखेगा।

23. खाद्यान्नों आदि की रियायती बिक्री के सममूल्य नकदी की गणना करने की पद्धति -

(1) खाद्यान्नों तथा अन्य वस्तुओं की रियायती बिक्री के कारण किसी कर्मचारी को प्राप्त लाभ के सममूल्य नकदी संगणना मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 (क्रमांक 4 सन् 1936) के उपबन्धों के अधीन निर्धारित प्रत्येक मजदूरी अवधि के अन्त में दी जायेगी।

(2) धारा 18 के प्रयोजनों के लिए किसी ऐसे कर्मचारी को, जिससे अधिक समय तक काम करने की अपेक्षा की गई हो, प्राप्त लाभ के सममूल्य नकदी संगणना ऐसी मजदूरी अवधि में जिसमें कर्मचारी ने अधिक समय तक काम किया, प्रचलित औसत बाजार भाव के अनुसार ऐसे खाद्यान्न तथा अन्य वस्तुओं के मूल्य और उनके रियायती मूल्य के बीच के अन्तर के सम-मूल्य रकम के रुप में की जायेगी।

24. मजदूरी सहित अवकाश की पंजी - (1) नियोजक अपने औद्योगिक परिसर में नियोजित कर्मचारियों के लिए प्ररुप छः में एक अद्यतन पंजी [जिसमें इसके बाद मजदूरी सहित अवकाश की पंजी (नियमित कर्मचारी) कहा गया है ।] रखेगा;

परन्तु यदि सक्षम प्राधिकारी की राय में, नियोजक द्वारा रखी गई उपस्थिति नामावधि या पंजी में धारा 26 तथा 27 के उपबन्धों के प्रवर्तन के लिये अपेक्षित ब्यौरे दिये गये हों, तो वह ऐसी उपस्थिति नामावली या पंजी को इस उप-नियम के अधीन रखी जाने वाली पंजी के रुप में मानने के लिखित आदेश दे सकेगा।

(2) नियोजक, उन कर्मचारियों के संबंध में जिन्हें अपने-अपने घर में कार्य करने की अनुमति दी गई हो (जिन्हें इसके बाद घर पर काम करने वाले कामगार कहा गया है) प्ररुप सात में अघतन मजदूरी सहित अवकाश की पंजी (जिसे इसके बाद घर पर काम करने वाले कामगारों की पंजी कहा गया है) रखेगा।

25. अवकाश पुस्तक - (1) नियोजक (घर पर काम करने वाले कामगारों सहित) प्रत्येक कर्मचारी को, यथा स्थिति, प्ररुप छः या प्ररुप सात में एक पुस्तक (जिसे इसके बाद अवकाश पुस्तक कहा गया है) देगा।

(2) अवकाश पुस्तक कर्मचारी की सम्पत्ति होगी और नियोजक उसमें प्रविष्टि करने की स्थिति को छोड़ अन्यथा उसे नहीं मांगेगा और एक बार में एक सप्ताह से अधिक समय तक अपने पास नहीं रखेगा।

(3) यदि कर्मचारी के पास से उसकी अवकाश पुस्तक गुम हो जाय तो नियोजक छः पैसे का भुगतान करने पर दूसरी प्रति उसे देगा।

26. धारा 31 के अधीन अपीलें - (1) धारा 31 की उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिये सहायक श्रमायुक्त अपीलीय प्राधिकारी होगा।

[1. (क) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी श्रमायुक्त, लिखित के आदेश द्वारा, किसी अपीली प्राधिकारी के पास से किसी भी उप-श्रम आयुक्त के अथवा एक अपीली प्राधिकारी से दूसरे प्राधिकारी को अंतरिम कर सकेगा। यथा स्थिति वह उप-श्रम आयुक्त या किसी अपीली प्राधिकारी जिसे अपील अन्तरिम की गई हो, अन्तरण आदेश में दिये गये निर्देशों के अध्याधीन रहते हुए नये सिरे से अन्यथा उस प्रक्रम से, जिससे की अपील को अन्तरिम किया गया था कार्यवाही करेगा।]

2. यदि किसी कर्मचारी को सेवामुक्त या बर्खास्त कर दिया जाय या उसकी छटनी कर दी जाये तो धारा 31 की उपधारा (2) के अधीन वह ऐसे सेवामुक्ति, बर्खास्तगी या छटनी के आदेश की सूचना के दिनाँक से तीस दिन की अवधि के भीतर उपनियम (1) में उल्लेखित अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकेगाः

परन्तु ऐसी अपील उक्त तीस दिन की अवधि के बाद भी उस स्थिति में ग्रहण की जा सकेगी, जब अपीलार्थी अपीलीय प्राधिकारी को इस बात से समाधान कर दे कि उक्त अवधि के भीतर अपील न करने के उसके पास पर्याप्त कारण हैं।

(3) धारा 31 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दी जाने वाली सूचना :-

(क) नियोजक को दी जाने वाली सूचना की स्थिति में प्ररुप 8 में; और

(ख) कर्मचारी को दी जाने वाली सूचना की स्थिति में प्ररुप 9 में होगी, और प्रत्येक ऐसी सुचना रसीदी रजिस्ट्री द्वारा सबंधित पक्ष को भेजी जायेगी।

अध्याय पांच
विविध

27. नियोजक द्वारा कच्चे माल के प्रदाय सम्बन्धी विवाद -

(1) निम्नलिखित बातों, अर्थात् :-

(क) नियोजक द्वारा कर्मचारी को कच्चे माल की प्रदाय,

(ख) किसी कर्मचारी द्वारा बनाई गई बिड़ी या सिगार अथवा दोनों की नियोजक द्वारा अस्वीकार किये जाने, अथवा

(ग) नियोजक द्वारा अस्वीकृत बिड़ी या सिगार या दोनों के लिये मजदूरी के भुगतान के सम्बन्ध में नियोजक और किसी कर्मचारी अथवा कर्मचारियों के बीच होने वाला कोई विवाद नियोजक द्वारा अथवा कर्मचारी या कर्मचारियों द्वारा लिखित रुप में निरीक्षक को निर्दिष्ट किया जा सकेगा, जो ऐसी जांच जिसे वह आवश्यक समझे, करने के बाद और पक्षों को उनके संबंधित मामलों में अपना अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के बाद विवाद का निर्णय करेगा और कार्यवाही को प्ररुप दस में अभिलिखित करेगा।

(2) विवाद से संबंधित कोई पक्ष, जो उपनियम (1) के अधीन उस पर किये गये निर्णय से परिवेदित हो, निर्णय की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर श्रमपदाधिकारी अथवा सहायक श्रमपदाधिकारी को अपील कर सकेगा।

परन्तु यदि अपीलार्थी प्राधिकारी का इस बात से समाधान कर दे कि उक्त अवधि के भीतर अपील न करने के लिये उसके पास पर्याप्त कारण है, तो अपीलीय प्राधिकारी उक्त अवधि के बाद भी अपील ग्रहण कर सकेगा।

28. कच्चे माल के वितरण का पर्यवेक्षण - कोई भी नियोजक उससे किसी निरीक्षक द्वारा लिखित रुप में दिये गये आदेश द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा की जाने पर आदेश देने वाले निरीक्षक के पर्यवेक्षण के या किसी अन्य निरीक्षक के पर्यवेक्षण के अधीन ऐसे कर्मचारी या कर्मचारियों को और

Scanned by CamScanner

ऐसी अवधि के दौरान जो आदेश में उल्लेखित की जाये, कच्चा माल वितरित करेगा, इसके सिवाय अन्यथा नहीं।

29. बिड़ीयों या सिगारों को अस्वीकार करने संबंधी सीमा -

(1) कोई भी नियोजक या ठेकेदार सामान्यतः घर पर काम करने वाले कामगारों सहित किसी भी कामगार से प्राप्त बिड़ियों या सिगार या दोनों के पांच प्रतिशत से अधिक माल को निम्नस्तरीय या छांट या किसी अन्य रुप में अस्वीकार नहीं करेगा।

(2) जब कोई बिड़ी या सिगार कामगार द्वारा जानबूझकर की गई उपेक्षा के आधार के अलावा अन्य किसी आधार पर निम्नस्तरीय या छांट अथवा किसी अन्य रुप में अस्वीकार किया जाय तो कामगार को इस प्रकार अस्वीकार की गई बीड़ियों या सिगारों या दोनों के लिए, उस दर से जिस दर पर इस प्रकार अस्वीकार न की गई बीड़ियों या सिगारों या दोनों के लिए मजदूरी देय हो, आधी दर पर मजदूरी का भुगतान किया जावेगा।

30. घर पर काम करने वाले कामगारों को मजदूरी का भुगतान - यदि घर पर काम करने वाले किसी कामगार को उसके घर पर कच्चा माल दिया जाता हो, तो उसको देय मजदूरी का भी उसके घर पर भुगतान किया जायेगा।

31. अग्नि से बचाव - प्रत्येक औद्योगिक परिसर में नियोजक पर्याप्त अग्निशासक सामग्री की व्यवस्था करेगा।

32. प्रविवरण - नियोजक प्रत्येक औद्योगिक परिसर के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को प्रत्येक माह के 10 वे दिन या उससे पूर्व प्ररुप ग्यारह में एक माहवारी प्रविवरण भेजेगा तथा उस प्राधिकारी को प्रत्येक वर्ष के अप्रेल माह की 30 तारीख को या उससे पूर्व प्ररुप बारह में एक वार्षिक विवरण भेजेगा।

33. कतिपय पंजियों के रखा जाना - (1) प्रत्येक नियोजक औद्योगिक परिसर में नियोजित कर्मचारियों के संबंध में प्ररुप तेरह में एक उपस्थिति नामावली रखेगा और प्रतिदिन कार्य प्रारंभ हो तो समय उसमें उनकी उपस्थिति दर्ज की जाएगी।

(2) प्रत्येक नियोजक घर पर काम करने वाले प्रत्येक कामगार को प्ररुप चौदह में दो पुस्तकें (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् घर पर काम करने वाले कामगार की लॉग पुस्तक कहा गया है) निःशुल्क प्रदान करेगा और घर पर काम करने वाला कामगार उक्त पुस्तक में उसके द्वारा किये गये दैनिक कार्य, उसके द्वारा बनाई गई बिड़ीयों और सिगारों की संख्या और उसके द्वारा प्राप्त मजदूरी का लेखा रखेगा और पुस्तकें देने की व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी कि नियोजक द्वारा कच्चे माल की दो क्रमिक पूर्तियों की बीच की अवधि के दौरान एक पुस्तक सदैव घर पर काम करने वाले कामगार के पास रहे।

(3) प्रत्येक नियोजक उसके अधीन नियोजित घर पर काम करने वाले सभी कामगारों के नाम और ब्योरों की एक नियोजन पंजी प्ररूप पन्द्रह में रखेगा और उक्त पंजी में घर पर काम करने वाले

कामगारों की लॉग पुस्तकों में की गई प्रविष्टियों के आधार पर प्रविष्टियाँ की जाएगी और उसे अघतन रखा जाएगा।

(4) प्रत्येक नियोजक एक **निरीक्षण पंजी** रखेगा, जिसमें औद्योगिक परिसर के निरीक्षण करने वाला निरीक्षक अपने निरीक्षण के समय उसकी जानकारी में आए किसी भी दोष के संबंध में अपनी टिप्पणी लिख सकेगा और नियोजक निरीक्षण द्वारा मांग की जाने पर उक्त पुस्तक प्रस्तुत करेगा।

(5) प्रत्येक नियोजक प्ररुप सोलह में एक अधिसमय पंजी रखेगा।

(6) अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों का संक्षेप प्रत्येक औद्योगिक परिसर के किसी सहगोचर भाग में लगाया जाएगा।

(7) इस नियम में निर्दिष्ट प्रत्येक पंजी उसमें दर्ज अन्तिम प्रविष्टि को तारीख से तीन वर्ष की अवधि तक परिरक्षित रखी जाएगी और औद्योगिक परिसर में काम करने के घन्टों के दौरान निरीक्षण के लिए सुलभ रहेगी।

34. बाह्य कार्य का अभिलेख - धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन औद्योगिक परिसर के बाहर किये जाने के लिए अनुमत कार्य का नियोजक द्वारा रखा जाने वाला लेखा प्ररुप सत्रह में होगा।

35. निरीक्षकों द्वारा मांगी गई जानकारी - (1) प्रत्येक नियोजक निरीक्षक को ऐसी जानकारी प्रस्तुत करेगा जिसे निरीक्षक इस बात से अपना समाधान करने के प्रयोजन से मांगे कि अधिनियम या उसके अधीन बनाए गये नियम के किसी भी उपबन्ध का सम्यक रुप से पालन किया गया था या किया जा रहा है अथवा नहीं।

(2) जब किसी निरीक्षक द्वारा अपने निरीक्षण के दौरान कोई जानकारी मांगी जाय और मांगी गई जानकारी सुलभ हो, तो नियोजक निरीक्षक को ऐसी जानकारी तुरन्त प्रदान करेगा और यदि किसी अन्य समय निरीक्षक द्वारा जानकारी की मांग की जाय तो नियोजक मांग प्राप्त होने की तारीख से दस दिनों के भीतर ही मांगी गई जानकारी भेज देगा।

36. रजिस्ट्री से भेजी जाने वाली सूचना - इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गये नियमों के अधीन किसी नियोजक अथवा बिड़ी या सिगार बनाने वाले कामगार के नाम पते से भेजी गई प्रत्येक सूचना या आदेश को यदि, उक्त सूचना रजिस्ट्री द्वारा भेजी गई हो, सम्यक रुप से तामील हुई मानी जायेगी।

Scanned by CamScanner

प्ररुप -एक

(नियम 3 तथा 4 देखिए)

वित्तीय वर्ष के लिए अनुज्ञप्ति की मंजूरी या नवीनीकरण हेतु आवेदन-पत्र

1. औद्योगिक परिसर का पूरा नाम
2. (एक) औद्योगिक परिसर का डाक का पूरा पता तथा स्थिति।
   (दो) वह पूरा पता जिस पर औद्योगिक परिसर से संबंधित पत्रादि भेजे जाए।
   (तीन) आवेदक का पूरा पता।
3. वित्तिय वर्ष के दौरान किसी भी एक दिन नियोजित किए जाने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या
4. उस व्यक्ति का पूरा नाम तथा निवास स्थान का पता जो अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नियोजक होगा।
5. यदि नियोजक कोई भागिता या कम्पनी आदि हो तो अन्य भागीदारों या संचालकों आदि के पूरे नाम तथा निवास स्थान के पूरे पते। (अन्त में दी गई टीप 1 देखिए)
6. क्या नियोजक के वित्तिय संसाधन (उदाहरणार्थ चल तथा अचल सम्पत्तियों के ब्यौरे तथा मूल्य, बैक निर्देश आय कर निर्धारण आदि)
7. क्या नियोजक का व्यापार तथा पण्य चिन्ह अधिनियम, 1958 के अधीन पंजीयित व्यापार चिन्ह है।
8. पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान औद्योगिक परिसर में निर्मित बीड़ियों या सिगारों या दोनों का मूल्य।
9. उद्योग में आवेदक का पिछला अनुभव।
10. क्या औद्योगिक परिसर का प्रस्तावित स्थल किसी विद्यमान औद्योगिक परिसर के स्थल में परिवर्तन करके बनाया जाना है, यदि हां तो ऐसे परिवर्तन के कारण बताइये।
11. क्या आवेदक द्वारा आवेदन पत्र की तारीख से ठीक पूववर्ती बारह मास की अवधि के दौरान कोई औद्योगिक परिसर बन्द किया गया था, यदि हां तो ऐसे परिवर्तन के कारण बताइये।
12. तम्बाखू प्राप्त करने का स्त्रोत
13. क्या आवेदक द्वारा निर्मित बिड़ीयाँ या सिगार या दोनों की ही स्वयं आवेदक द्वारा या मालिक अथवा व्यापार तथा पण्य चिन्ह अधिनियम, 1958 के अधीन पंजीयित व्यापार चिन्ह के पंजीयित उपयोगकर्ता अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बिक्री तथा हाट व्यवस्था की जाएगी।
14. क्या परिसर के मानचित्र संलग्न है।
15. फीस की.....रु की राशी का भुगतान कोषागार में.....को किया गया। (देखिये संलग्न चालान क्रमांक.....)

मैं इसके द्वारा घोषणा करता हुँ कि मेरे द्वारा प्ररुप में दिये गये ब्यौरे मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सही हैं।

दिनाँक.....199....

.....

आवेदक के हस्ताक्षर

अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन कर्ता या तो ठेकेदार या नियोजक को बनाया जा सकता है।

टीप 1. - जहाँ किसी औद्योगिक संस्थान को किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों अथवा कम्पनी आदि के लिये या की ओर से ठेकेदार द्वारा चलाया जाता है या चलाये जाने का प्रस्ताव हो, वहाँ उक्त अन्य व्यक्ति व्यक्तिगण या कम्पनी आदि अधिनियम के अधीन नियोजक हैं तथा प्ररुप में नियोजक के लिये दर्ज किये जाने वाले ब्यौरे ऐसे व्यक्ति, व्यक्तियों या कम्पनी आदि से संबंधित होंगे।

टीप 2. - (एक) यह प्ररुप स्पष्ट अक्षरों में स्याही से भरा जायेगा अथवा मुद्रा लिखित किया जायेगा।

(दो) यदि मद क्रमांक 5 के सामने नामांकित कोई भी व्यक्ति अद्यवस्क हो तो इस तथ्य का स्पष्ट रुप से उल्लेख किया जाना चाहिए।

Scanned by CamScanner

प्ररुप-दो

(नियम 5 देखिये)

अनुज्ञप्ति

अनुज्ञप्ति क्रमांक.....

पंजीयन क्रमांक..... शुल्क रु.....

एतद्द्वारा श्री .....को परिशिष्ट में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन अनुज्ञप्ति दिया जाता है, जो वर्ष .....के दौरान किसी भी दिन.....से अनधिक कर्मचारियों को नियोजित करने वाले औद्योगिक परिसर के रुप में उपयोग में लाये जाने वाले नीचे वर्णित परिसर के लिये विधि मान्य होगा।

अनुज्ञप्ति 31 मार्च.....तक प्रवृत रहेगा।

औद्योगिक परिसर का नाम.....

औद्योगिक परिसर की स्थिति.....

शक्ति चलित यंत्र की स्थापना के लिये भी अनुमति दी जाती है।

दिनाँक.....199....

.....

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर तथा उसकी मुद्रा

नवीनीकरण

(नियम 4)

नवीनीकरण का दिनाँक	नवीनीकरण के लिये भुगतान की गई फीस	समाप्ति की तारीख
1.		
2.		
3.		
4.		

.....

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर तथा उसकी मुद्रा

परिशिष्ट

यह अनुज्ञप्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा -

(1) निर्माण कार्य औद्योगिक परिसर के केवल उसी भाग में किया जायेगा जो अनुज्ञप्ति में उस प्रयोजनार्थ उल्लेखित हो;

(2) औद्योगिक परिसर में नियोजित कर्मचारियों की अधिकतम संख्या, किसी भी दिन अनुज्ञप्ति में उल्लेखित संख्या से अधिक नहीं होगी;

(3) अनुज्ञप्ति में उल्लेखित न किये गये शक्ति चालित यंत्र का उपयोग परिसर में निर्माण कार्य में नहीं किया जायेगा;

(4) सक्षम प्राधिकारी की लिखित पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना, औद्योगिक परिसर का विस्तार नहीं किया जायेगा और ऐसी अनुमति प्राप्त किये बिना ऐसे परिसर में किसी भवन में कोई भी संरचनात्मक परिवर्तन नहीं किये जायेंगे;

(5) यह अनुमति हस्तान्तरणीय नहीं है।

प्ररुप-तीन

[नियम 10(2), 15(3), 21(6) (ख) देखिये]

पुताई, रंगाई, वार्निश, रंग-रोगन और सफाई करने का अभिलेख

औद्योगिक परिसर का भाग अर्थात् कमरे कानाम	पोते गये, रंग-रोगन या वार्निश किये गये भाग (अर्थात् दीवारें, छतें, लकड़ी की समाग्री आदि)	उपचार/पोते गये रंग-रोगन या वार्निश किया गये, साफ किये गये,	अंग्रेजी कैलेन्डर के अनुसार तारीख जिसको पुताई की गई, रंग-रोगन या वार्निश कियागया या सफाईकी गई तारीख माह वर्ष	कैफियत	नियोजक के हस्ताक्षर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

प्ररुप-चार

नियम क्रमांक 22(1) देखिये

कार्य अवधि संबंधी सूचना

अंक 1,2,3 पहली दूसरी तथा तीसरी जारी अथवा.....रिले से संबंधित है।

औद्योगिक परिसर का नाम.....स्थान.....जिला.....

Scanned by CamScanner

काम का अवधि	पुरुष (नियोजित पुरुषों की कुल संख्या)			महिलाएँ और बाल कर्मचारी (नियोजित महिलाओं और बाल कर्मचारियों की कुल संख्या)			समुहा का वर्णन (समूह अक्षर)		कैफियत कार्य का स्वरुप
(1)(2)(3)	(1)(2)(3)	(1)(2)(3)	(1)(2)(3)	(1)(2)	(1)(2)	(1)(2)			
	अ	आ	इ	ई	उ	ऊ	अ आ इ उ ऊ		

कार्य के दिनों में :-
.....से
.....तक
.....से
.....तक
आंशित कार्य के दिनों में
.....से
.....तक
.....से
.....से
साप्ताहिक छुट्टी के दिन
वह तारीख, जिसको यह
सूचना प्रवृत होगी

नियोजक

प्ररूप-पांच

(नियम 22(2) देखिये)

अधिनियम सहित कार्य के घन्टे दर्शाने वाली पंजी

.....के समाप्त होने वाला सप्ताह

कर्मचारी का नाम	कामगार बाल कर्मचारी है या नहीं	सप्ताह के दौरान कुल कितने घन्टे काम हुआ	वह तारीख जिसको अधिक समय तक कार्य दिया गयाऔर प्रत्येक अवसर पर ऐसे अधिक समय की सीमा	सप्ताह के दौरान अधिक समय तक किये गये कार्य की सीमा
1	2	3	4	5

प्ररूप-छः

(नियम 24(1) तथा 25(1) देखिये)

मजदूरी सहित अवकाश की पंजी (नियंत्रित कर्मचारी)

अवकाश पुस्तक

प्रत्येक कर्मचारी के लिए पृथक पृष्ठ रखा जायेगा।

वयस्क/बालक/नाम/पिता का नाम/संस्थान में प्रवेश करने की तारीख.....सेवा मुक्ति की तारीख.....देय अवकाश के बदले में किये गये भुगतान की तारीख तथा रकम

क्रमांक.....

सेवा में प्रवेश करने की तारीख

संस्था का नाम

जमा अवकाश

(1) सेवा का अंग्रेजी वर्ष
(2) मजदूरी अवधि.....से.....तक
(3) अंग्रेजी वर्ष के दौरान कार्य के दिनों की संख्या
(4) पिछले वर्ष से बकाया अवकाश
(5) खाना (1) में उल्लेखित वर्ष के दौरान अर्जित अवकाश
(6) खाना (4) तथा (5) का योग
(7) .....से.....तक लिया गया अवकाश
(8) जमा अवकाश
(9) मजदूरी की सामान्य दरें, अर्थात् पूर्णकालिक अर्जन का दैनिक औसत नकदी में
(10) रियायती दरों से बेचे जाने वाले खाद्यान्न आदि प्राप्त होने वाला लाभ का नकद सममूल्य
(11) अवकाश की अवधि के लिए मजदूरी की दर (क्रं. 9 तथा 10 का योग)
(12) भुगतान की तारीख तथा रकम
(13) कैफियत

Scanned by CamScanner

प्ररूप-सात

(नियम 24(2) तथा 25(1) देखिये)

मजदूरी सहित अवकाश की पंजी

(घर पर काम करने वाला कामगार)

अवकाश पुस्तक

1. संस्थान का नाम
2. क्रमांक
3. कर्मचारी का नाम तथा आयु
4. पिता/पति का नाम
5. सेवा में प्रवेश की तारीख
6. सेवा मुक्ति की तारीख
7. अवकाश के बदले भुगतान की गई रकम
8. सेवा का अंग्रेजी वर्ष
9. वर्ष के दौरान कार्य के दिनों की संख्या
10. पिछले वर्ष से बकाया अवकाश
11. खाना (8) में उल्लेखित वर्ष के दौरान अर्जित अवकाश
12. खाना (10) में तथा (11) का योग
13. लिया गया अवकाश.....से.....तक
14. जमा अवकाश
15. मजदूरी की सामान्य दरें अर्थात् पूर्णकालिक अर्जन का दैनिक औसत की नकदी में
16. रियायती दरों से बेचे जाने वाले खाद्यान्न आदि से प्राप्त होने वाले लाभ का, यदि कोई हो तो नकद सममूल्य
17. अवकाश की अवधि के लिये मजदूरी की दरें (खाना 15 तथा 16 का योग)
18. भुगतान की तारीख तथा रकम
19. कैफियत

प्ररूप-आठ

(नियम 26(3) (क) देखिये)

धारा 31 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन नियोजक को सूचना

श्री.....ने अपनी सेवामुक्ति/बर्खास्तगी/छटनीं के आदेश के विरुद्ध बिड़ी तथा सिगार कामागार (नियोजन शर्तें) अधिनियम, 1966 की धारा 31 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन अपीलीय प्राधिकारी के अपील की है। उसकी अपील याचिका की एक प्रति संलग्न है।

अपील की सुनवाई की तारीख.....माह.....19....पूर्वान्ह/अपरान्ह.....बजे निश्चित की गई है। आप उक्त तारीख को अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर दोनों का उत्तर दे। आपको उक्त दिन उन समस्त गवाहों तथा उन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिये तैयार रहना चाहिए जिन पर आप अपने बचाव के समर्थन में निर्णय करना चाहते हों। उक्त तारीख को आपके उपस्थिति न होने पर मामले की सुनवाई आपकी अनुपस्थिति में की जाएगी तथा निर्णय दिया जाएगा।

.....

अपीलीय प्राधिकारी

(प्रत्येक कर्मचारी के लिये प्रथक पृष्ठ रखा जायेगा)

प्ररूप-नौ

(नियम 26(3) ख देखिये)

धारा 31 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन कर्मचारी को सूचना

आपकी अपील की सुनवाई की तारीख.....मास.....199 सुबह/मध्यान्ह पश्चात्.....बजे निश्चित की गई है। आप उक्त तारीख को अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपना दावा सिद्ध करने के लिये उपस्थित हो।आप उक्त तारीख को उन समस्त गवाहों को जिनके साक्ष्य पर तथा उन समस्त दस्तावेजों को, जिन पर आप अपने मामले के समर्थन में निर्भर रहना चाहते हों, प्रस्तुत करने के लिये तैयार रहे। आपके उक्त तारीख को उपस्थिति न होने पर मामले की सुनवाई आपकी अनुपस्थिति में की जायेगी तथा निर्णय दिया जायेगा।

.....

अपीलीय प्राधिकारी

प्ररूप-दस

(नियम 27(1) देखिये)

निर्णय या आदेश का अभिलेख

1. क्रमांक
2. आवेदन का दिनाँक
3. आवेदक या कुछ या समस्त आवेदकों का/के नाम पिता का नाम पता या पते
4. नियोजक का नाम तथा पता
5. विवाद का सारांश

Scanned by CamScanner

6. पक्षों की दलील तथा उन का परिश्रम यदि किया गया हो
7. देखी गई दस्तावेजें
8. लिये गये साक्ष्य का सार
9. निष्कर्ष तथा तत्संबंधी कारणों का संक्षिप्त विवरण
10. निर्णय

दिनाँक .....

हस्ताक्षर

प्ररुप-ग्यारह

(नियम 32 देखिये)

मासिक प्रविवरण

1. औद्योगिक परिसर का नाम तथा डाक का पूरा पता
2. अनुज्ञप्ति का क्रमांक तथा दिनाँक
3. वह माह जिससे प्रविवरण संबंधित हो
4. नियोजक का नाम
5. यदि नियोजक, प्रमुख नियोजक के लिये ठेकेदार के रुप में कार्य कर रहा हो तो प्रमुख नियोजक का नाम
6. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा दी गई बिड़ी तथा सिगार की तम्बाखू की मात्रा
7. प्रमुख नियोजक द्वारा की गई बिड़ी और सिगार की तम्बाखू की मात्रा
8. औद्योगिक परिसर में नियोजक द्वारा निर्मित बिड़ीयों और या सिगारों की संख्या
9. औद्योगिक परिसर को छोड़कर अन्य स्थानों में, अर्थात् जहाँ कामगार अपने-अपने घरों में कार्य करते हों,
10. बेची गई बिड़ीयो और या सिगारों की संख्या तथा किसे बेची गई।

दिनाँक .....

नियोजक के हस्ताक्षर

प्ररुप-बारह

(नियम 32 देखिए)

वार्षिक प्रविवरण

1. औद्योगिक परिसर का नाम व पता
2. अनुज्ञप्ति का क्रमांक तथा दिनाँक
3. नियोजक का नाम
4. यदि नियोजक प्रमुख नियोजक के लिये ठेकेदार के रुप में कार्य कर रहा हो तो प्रमुख नियोजक का नाम
5. औद्योगिक परिसर में प्रतिदिन नियोजित किये जाने वाले कर्मचारियों की औसत संख्या★
   पुरुष, महिलाएँ बाल कर्मचारी बालक, बालिकाएँ
6. घर पर काम करने वाले कामगारों की औसत मासिक आय संख्या (अर्थात् अपने-अपने घरों में कार्य करने वाले व्यक्ति)★★
7. औद्योगिक परिसर में प्रति सप्ताह सामान्य कार्य के घन्टों की संख्या कितने घन्टे कार्य कुल
8. औद्योगिक परिसर में वर्ष में कितनें दिन कार्य कुल
9. उन कर्मचारियों की संख्या जिन्हें अंग्रेजी वर्ष में अवकाश मंजूर किया गया।

युवक बाल कर्मचारी

(क) औद्योगिक परिसर में नियोजित
(ख) घरों में नियोजित
नियोजित बाल कर्मचारियों के अधिनिमित्त अन्य
(ग) औद्योगिक परिसर में नियोजित
(घ) घरों में नियोजित

10. महिला कर्मचारियों की संख्या जिन्हें वर्ष के दौरान प्रसूति लाभ दिया गया-
    (क) औद्योगिक परिसर में नियोजित
    (ख) घरों में नियोजित

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दी गई जानकारी मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सही है।

नियोजक के हस्ताक्षर

टीप :- आधी पारी या कार्य दिवस से कम को आंशिक उपस्थिति को नहीं गिना जायेगा तथा आधी पारी या उसके अधिक उपस्थिततिि को पूर्ण उपस्थिति माना जाएगा।

★औसत दैनिक संख्या कार्य दिवसों की संख्या का भाग देकर निकाली जाएगी। पृथक पारियों अर्थात् दिन और रात पारी की उपस्थिति का गणना अलग-अलग की जाएगी।

★★औसत पूर्ववर्ती 12 माह के दौरान घर पर काम करने वाले कामगारों का नियोजन पंजी के कुल कामगारों में 12 का भाग देकर निकाला जायेगा।

Scanned by CamScanner

प्ररूप-तेरह

(नियम 33 (1) देखिए)

कर्मचारी की उपस्थिति नामावली

औद्योगिक परिसर का नाम तथा पता.....दिनाँक.....

क्रमांक	नाम	पदनाम	समूह	रिले	परिसंख्या	कार्य की अवधि	कैफियत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

प्ररूप-चौदह

(नियम 33(2) देखिये)

घर पर काम करने वाले कामगारों की लॉग बुक

(1) घर पर काम करने वाले कामगार का नाम.....

(2) उस घर का पता, जहाँ वह निर्माण कार्य किया जाता हो.....

(3) माह

घर पर दिये काम का ब्यौरा

दिनाँक	क्या कार्य किया गया	निर्मित बिड़ीयों/सिगारों	प्राप्त मजदूरी
(1)	(2)	(3)	(4)

1. एक माह में कितने दिन कार्य किया .....

घर पर काम करने वाले कामगार के हस्ताक्षर या अंगुठे का निशान व दिनाँक

प्ररूप-पन्द्रह

(नियम 33(3) देखिये)

घर पर काम करने वाले कामगार की नियोजन पंजी

.....को समाप्त होने वाला माह

घर पर काम करने वाले प्रत्येक कामगार द्वारा बनाई गई बिड़ीयाँ उचित के नीच दर्शायी जानी चाहिये।

कामगार का नाम	घर का पता	दी गई मजदूरी

दिनांक.....

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29 30 31

प्ररूप-सोलह

(नियम 33 (5) देखिये)

अधिनियम कार्य की पंजी

.....19....को समाप्त होने वाला माह

1. नाम
2. पदनाम
3. दिनाँक जिसको अधिक समय तक कार्य किया गया
4. अधि-समय की सीमा
5. अधि-समय तक काम करने की अवधि या उजरती कामगारों के मामले में कुल उत्पादन
6. सामान्य घन्टे
7. वेतन की सामान्य दर
8. अधिसमय वेतन दर
9. सामान्य अर्जन
10. अधिनियम अर्जन
11. खाद्यान्नों आदि की रियायती दर पर बिक्री से प्राप्त होने वाले लाभ का नगद सममूल्य
12. कुल अर्जन
13. अधिसमय के भुगतान की दिनाँक

प्ररूप-सत्रह

(नियम 34 देखिए)

बाह्य कार्य का अभिलेख

शासन के उस आदेश का क्रमांक तथा दिनाँक जिसके द्वारा औद्योगिक परिसर के बाहर कार्य करने की अनुमति दी गई हो :-

दिनाँक	वह स्थान अथवा वे स्थान जहाँ बाह्य कार्य की अनुमति दी गई	कार्य का स्वरुप	कर्मचारियों के नाम	कैफियत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Scanned by CamScanner

अधिसूचनाएँ
NOTIFICATIONS

बिड़ी तथा सिगार कामगार (नियोजन शर्तें) अधिनियम, 1966 की धारा 1(3) का विभिन्न राज्यों में प्रवर्तन दिनाँक -

1. **आन्ध्रा प्रदेश** - 1 अप्रेल, 1968 धारा 3 को छोड़कर अन्य सभी प्रावधान - ए.पी. राजपत्र दि. 1.4.1968 भाग एक, असाधारण खंड-1। धारा 3 के लिए ए.पी.राजपत्र दि. 23.5.1968 भाग एक पेज 859.
2. **आसाम** - सितम्बर, 15, 1970 सभी प्रावधानों का लागू होना। आसाम राजपत्र दि. 8.9.1970 "असाधारण" पेज 465 (क्रं. 80)
3. **बिहार** - 1 जनवरी, 1969 अधिसूचना क्रं. एस.ओ. 1001 दि. 19 दिसम्बर, 1968 - बिहार शासन राजपत्र "असाधारण" दि. 20 दिसम्बर, 1968 पेज 2 में प्रकाशित।
4. **गोवा, दमन और द्यु** - 1 अक्टुबर, 1968 सभी प्रावधान - गोवा शासन राजपत्र दिनाँक 29.9.1968 सीरीज 1, क्रं. 26 पेज 414.
5. **गुजरात** - 1 अप्रेल, 1968 धारा 3 को छोड़कर अन्य सभी प्रावधान - गुजरात राजपत्र दि. 14.3.1968, भाग एक.एस. पेज 974। धारा 3, 1 मई, 1968 से प्रवर्तनशील - राजपत्र पेज 975 .
6. **कर्नाटक** - 10 नवम्बर, 1969 - अधिसूचना क्रं. एस.ओ. 2197 दि. 24 अक्टुबर, 1969 मैसुर शासन राजपत्र दि. 30 अक्टूबर, 1969 के भाग - चार, खंड 2-सी (II) के पेज 5132 में प्रकाशित,
7. **केरला** - 15 अगस्त, 1968 - धारा 3 के लिए - केरल राजपत्र दि. 23.7.1968, भाग - एक पेज 412.
8. **मध्यप्रदेश** - 1 अप्रेल 1968, धारा 3 को छोड़कर अन्य सभी पावधान और धारा 3 के लिए म.प्र. राजपत्र दि. 31.3.1968 "असाधारण" पेज 692.
9. **महाराष्ट्र** - 1 अप्रेल 1968, धारा 3 को छोड़कर अन्य सभी प्रावधान और धारा 3 के लिए 1 मई 1968 - महाराष्ट्र राजपत्र दि. 4.4.1968, भाग एक(एल.), पेज 1373,
10. **उड़ीसा** - 1 जून 1968, धारा 3 को छोड़कर अन्य सभी प्रावधान - उड़ीसा राजपत्र दिनाँक 29.5.68 "असाधारण" 10 फरवरी, 1970 - धारा 3 के प्रवर्तन हेतु अधिसूचना क्रं. एस.आर.ओ. 55/70 दि. 9-2-1970, उड़ीसा राजपत्र असाधारण क्रमांक 194 में प्रकाशित,
11. **पाण्डुचेरी** - 1 सितम्बर, 1968 धारा 3 को छोड़कर अन्य सभी प्रावधान हेतु पाण्डुचेरी राजपत्र दि. 30 जुलाई 1968, पेज 549,

12. **राजस्थान** - 19 मार्च 1969, धारा 3 के प्रवर्तन हेतु - अधिनियम क्रं. एस. ओ. 46 दि. 19.3.1969 राजस्थान राजपत्र के असाधारण - भाग - चार (घ) के पेज 1189 पर प्रकाशित,
13. **तमिलनाडु** - 1 जुलाई, 1968, धारा 3 को छोड़कर अन्य सभी प्रवाधान - एफ.टी/ एस.टी./शास. राजपत्र दिनाँक 29 जून, 1968 के भाग दो, खंड - एक, असाधारण एवं धारा 3 हेतु धारा 3 का प्रवर्तन राजपत्र दि. 30.7.1968 भाग दो खंड एक असाधारण, पूर्व की अधिसूचना को निरासित करते हुए
14. **उत्तरप्रदेश** - 1 अक्टूबर 1969, धारा 3 को छोड़कर अन्य सभी प्रावधान उ.प्र. शास. राजपत्र दि. 11.10.1969 - भाग एक, पेज 4220 दि. 3 अक्टूबर 1975 से धारा 3 प्रभावशील.
15. **पश्चिम बंगाल** - 1 जनवरी, 1970 धारा 3 का 14 एवं 16 छोड़कर अन्य सभी प्रावधान, कलकत्ता राजपत्र दि. 1969 भाग एक पेज 2060.

भोपाल, दिनाँक 29 मार्च, 1968

क्र. 2162 - 2702 - सोलह - बिड़ी एण्ड सिगार

वर्कर्स (कन्डीसन्स ऑफ एम्पायरमेन्ट) एक्ट, 1966 (क्रमांक 32 सन् 1966) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा राज्य के समस्त क्षेत्रिय सहायक श्रमायुक्तों को उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के भीतर उक्त धारा के उद्देश्यों के लिए प्राधिकारी निर्दिष्ट करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

क्रं. 2163 - 2707 - सोलह - बिड़ी एण्ड सिगार

वर्कर्स (कण्डशन्स ऑफ एम्पलायमेंट) एक्ट, 1966 (क्रमांक 32 सन् 1966) की धारा 28 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में जाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा यह निर्देश देता है कि पेमेन्ट ऑफ वेजेज एक्ट, 1936 (क्रमांक 4 सन् 1936) के समस्त उपबन्ध जैसे कि मध्यप्रदेश राज्य के समय-समय पर लागू हों तथा तद्धीन बनाये गये नियम, उन सभी स्थापनाओं के समस्त कर्मचारियों को जिनकों बिड़ी स्पष्ट सिगार वर्कर्स (कण्डीशन्स ऑफ एम्पलायमेंट) एक्ट, 1966 (क्रमांक 32 सन् 1936) लागू होता हो, लागू होगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

निर्मला यादव

उपसचिव

(उपरोक्त समस्त अधिसूचनाएं म.प्र. शासन, श्रम विभाग द्वारा दि. 29.3.68 को जारी किया गया एवं मध्यप्रदेश राजपत्र के असाधारण अंक दि. 31.3.1968 के पृष्ठ 692 पर प्रकाशित)

Scanned by CamScanner

भोपाल, 29 मार्च, 1968.

क्रं. 2159-2702 - सोलह - बिड़ी एण्ड सिगार वर्कर्स (कण्डिशन्स ऑफ एम्पल्यामेंट) एक्ट, 1966 (क्रमांक 32 सन् 1966) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा -

(एक) 1 अप्रेल, 1968 को उस दिनाँक के रुप में नियत करता है जिसको उक्त अधिनियम की धारा (3) को छोड़कर उसके समस्त उपबन्ध, और

(दो) 1 मई, 1968 को उस दिनाँक के रुप में नियत करता है, उसकी धारा मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मध्यप्रदेश राजपत्र के 31 मार्च 1968 के प्रकाशन में प्रकाशित)

क्रं 2160-2702 सोलह - बिड़ी एक्ट सिगार वर्कर्स (कण्डिशन्स ऑफ एम्पल्यामेंट) एक्ट, 1966 (क्रमांक 32 सन् 1966) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एदद्द्वारा) -

(एक) (क) मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना अधिनियम 1958 (क्रमांक 25 सन् 1958) की धारा 40 की उपधारा (2) के अधीन निरीक्षक के रुप में नियुक्त समस्त व्यक्तियों को, और

(ख) फैक्टरीज एक्ट, 1948 (क्रमांक 63 सन् 1948) की धारा 8 के अधीन नियुक्ति समस्त निरीक्षकों को,

उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये उनके संबंधित क्षेत्राधिकारियों के भीतर निरीक्षक के रुप में नियुक्त करता है, और

(दो) श्रम आयुक्त के कार्यालय के मुख्यालय पर उप-श्रम आयुक्त को सम्पूर्ण राज्य के लिये मुख्य निरीक्षक के रुप में नियुक्त करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
निर्मला यादव
उपसचिव

क्रं. 2161-1702 - सोलह - बिड़ी एण्ड सिगार वर्कर्स (कण्डिशन्स ऑफ एम्प्लायमेंट) एक्ट, 1966 (क्रमांक 32 सन् 1966) के धारा 2 के खण्ड (सी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा राज्य के समस्त श्रम पदाधिकारियों एवं सहायक श्रम पदाधिकारियों को उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के भीतर उक्त एक्ट के अधीन सक्षम प्राधिकारी के समस्त या किन्हीं कृत्यों का पालन करने के लिए प्राधिकृत करता है।)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
निर्मला यादव
उपसचिव

(समस्त उपरोक्त अधिसूचनाएं म.प्र. राजपत्र के असाधारण अंक दिनाँक 31 मार्च 1968 के पृष्ठ 692 पर प्रकाशित)

Govt of India.
Ministry of Labour Employment and Rehabkitation
(Department of Labour & Emloyment)

Dated, New Delhi Thu. 1.2.67

Notification

S.O. In Pursuance of Clause (1) of Artical 239 of the Constitution, the President here by directs that the Administrators (whe-ther knows as Lieutenant Governnor or chief Commission of Administrator) of the union teritries of Delhi, Himachal Pradesh, Manipur, Tripura, Andaman and Nicobar Icelands, Laccdive, Minipur and Anindivi Icelands, Dadra and Nagar Haveli, Goa, Daman & Du, Pondicherry and Chandigarh, &hall &ugject to the Control of the President exercise the power and discharge the function of the state Government under the bedi and Cigar Workers(Condition of Employment) Act, 1966 (32 of 1966) with in their reopective jurisdictions.

Sd. Vidya Prakash
Deputy Seceratary to the Government
of India

[No. 9/1/67 - Fac. 6]

Scanned by CamScanner

भोपाल, दिनाँक मई, 1976

क्रमांक 15264/16, बिड़ी सिगार कामगार (नियोजन शर्तें) अधिनियम, 1966 की धारा 41 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा के प्रावधानों के क्रियान्वयन से मुक्ति प्रदान करती है।

द्वारा बिड़ी उद्योग के नियोक्ताओं को अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (3) -

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
(वि.वि.सिंह)
उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन, श्रमविभाग

भोपाल दिनाँक 30 जून, 1976

क्रमांक 6145/5263/16 बिड़ी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 (क्रमांक 32 सन् 1966) की धारा 41 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा समस्त सट्टेदारों को उक्त अधिनियम की धारा 8 से 13 तक तथा धारा 15 एवं 16 और उक्त धाराओं के अधीन बनाए गये नियमों के उपबन्धों से छूट प्रदान करती है।

म.प्र. राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार
(वीर कुमार मजदेत्ता)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग

भोपाल दिनाँक 10.12.1976

4(ई)/15/76/श्रम/16, बिड़ी तथा सिगार कामगार (नियोजन शर्तें) अधिनियम 1966 (क्रमांक 3 सन् 1966) की धारा 41 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा समस्त घर पर काम करने वाले बिड़ी कामगारों (डोम वर्कर्स) के लिये उक्त अधिनियम की धारा 26 एवं 27 के प्रावधानों के निम्नलिखित शर्तों के अधीन छूट प्रदान करती है।

शर्तें

1. यह कि धारा 26(1) के प्रावधानों के अन्तर्गत अर्जित अवकाश अवधि के बदले में कामगार को अतिरिक्त आर्थिक लाभ पाक्षिक किस्तों में भुगतान किया जायेगा।
2. यह कि अतिरिक्त लाभ कामगार को सन् 1974 से देय होगा। सन् 1974-1975 तथा 1976 में अर्जित अवकाश के बदले अतिरिक्त आर्थिक लाभ कामगार को चार किश्तों में माँग के अनुसार चाहे तो पूर्व वर्ष 1977 में वितरित किया जावेगा।

3. यह कि अतिरिक्त आर्थिक लाभ की धनराशि कामगार द्वारा निर्मित बिड़ीयों की कुल संख्या की 5 प्रतिशत बीड़ीयों को मजदूरी के बराबर होगी।
4. यह कि छूट महिला कामगारों के लिये लागू नहीं होगी। महिला मजदूरों के लिये अलग से अनुदेश जारी किये जायेगें।
5. उपरोक्त आदेशों का पालन 6 माह तक दिया जावेगा तथा कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए शासन पुनः विचार करेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
(हस्ताक्षर)
(कि.वि.सिंह)
उप-सचिव
म.प्र. शासन, श्रम विभाग

NOTIFICATION

Explanation From Provision

Bhopal, Dated 10th Dec., 1976

Vide Notification No. 4 (e) 1976 Labour (V)

The State Government hereby grant Exemption from the provisions of section 26 & 27 of the said Act in respect of home workers subject to the following conditions-

CONDITIONS

1. That the lieu of the period of leave earned under the provisions of 26(1) the home workers will be paid additionas financial advantage in fortnightly instalment.

2. That the additional financial advantage shall be payable from 1974 In lieu of leave erned in 1974, 75 and 1976 this additional financial advantage shall be paid to the worker in four instalments in 1976 as and when demanded on festival occasions.

3. That the amount of this additional financial advantage shall be equal to wages 5% of this total number of Bidis made by worker.

4. That this exemption shall not be applicate in respect of any woman Employee for which separate orders will be issued,

5. That the implementation of above orders would be reviewed after six month in the light of experience.

(Published in M.P. Rajpatra Parb. I dated 28.1.77 Page 186)

Scanned by CamScanner

भोपाल दिनांक 4 फरवरी, 1993

क्रं. एफ, 2-1-91 सोलह-ए(4) - चुंकि राज्य शासन ने मध्यप्रदेश बिड़ी तथा सिगार कामगार (नियोजन शर्तें) नियम 1968 में उक्त संशोधन को जिसमें की राज्य शासन बिड़ी एण्ड सिगार वर्क्स (कण्डीशन ऑफ एम्प्लायमेंट) एक्ट, 1966 (क्रमांक 32 सन् 1966) की धारा 44 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए करना, अधिसूचना क्रं. एफ-2-1-91 श्रम-सोलह-ए(4), दिनांक 29 जुलाई, 1991 जो की धारा 44 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किए अनुसार ऐसे समस्त व्यक्तियों को जिनके की उनसे प्रभावित होने की संभावना है, दिनांक 27 सितम्बर, 1991 को प्रकाशित की गई थी, प्रकाशन के दिनांक से तीन माह की अवधि समाप्त होने पर भी कोई भी आपत्ति प्राप्त न होने पर निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

संशोधन

उक्त नियम के नियम 8 के उप-नियम (1), तथा (3) के स्थान पर निम्न उपनियम प्रतिस्थापित किये जाए अर्थात :-

1. धारा 4 के अधीन लायसेन्स देने या उसके नवीनीकरण के लिए भुगतान की जाने वाली फीस नीचे की सारणी में दर्शाए अनुसार होगी -

सारणी

यदि उक्त वित्तिय वर्ष के दौरान जिसके लिये लायसेन्स अपेक्षित हो या नवीकृत दिया गया हो, किसी भी दिन नियोजन के लिए प्रस्तावित कर्मचारियों की संख्या -

ऐसे औद्योगिक परिसर की फीस जिसमें शक्तिचालित मशीनरी का उपयोग किया जाता है।	ऐसे औद्योगिक परिसर की फीस जिसमें शक्ति चालित मशीनरी का उपयोग नहीं किया जाता है।
1	2
(क) दस से अधिक न हो रुपये 37.50	रुपये 30.00
(ख) दस से अधिक किन्तु बीस से अधिक न हो, रुपये 75.00	रुपये 50.00

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

मध्यप्रदेश राजपत्र के असाधारण भाग दिनांक 4 फरवरी, 1993 के पेज 62(1) में प्रकाशित

Scanned by CamScanner